लाड्र्स टेस्ट में वॉर्नर, स्मिथ और हेड के अर्द्धशतकों से ऑस्ट्रेलिया मजबूत

लंदन (एजेंसी)।

स्टीवन स्मिथ (नाबाद 85), ट्रेविस हेड (77) और डेविड वार्नर (66) के अर्द्धशतकों के सहारे आस्ट्रेलिया ने दूसरे एशेज टेस्ट के पहले दिन बुधवार को लाड्र्स मैदान पर पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 5 विकेट पर 339 रन बना लिए।

सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर और उस्मान ख्वाजा को शुरूआत में जीवनदान मिले। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया और लंच से ठीक पहले उस्मान ख्वाजा को युवा तेज गेंदबाज जोश टंग ने बोल्ड किया। वॉर्नर 70 गेंद में 53 रन बनाकर खेल रहे हैं। ख्वाजा 70 गेंद में 17 रन बनाकर आउट हुए। पहले सत्र में खराब मौसम के कारण फ्लडलाइड चालू रखनी पड़ी। ख्वाजा को एक के स्कोर पर जीवनदान मिला जब जेम्स एंडरसन की गेंद पर पहली स्लिप में जो रूट ने उनका कैच छोड़ा। वहीं वॉर्नर उस समय 20 रन बनाकर खेल रहे थे जब स्टुअर्ट

ब्रॉड की गेंद पर चौथी स्लिप में ओली पोप ने उनका कैच टपकाया। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया को तीसरा झटका ओली रॉबिन्सन ने दिया। उन्होंने मार्नश लाबुशेन को विकेटकीपर जॉनी बेयरस्टो के हाथों कैच कराया। लाबुशेन ने 93 गेंद पर 47 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने तीन विकेट पर 193 रन बना लिए हैं। स्टीव स्मिथ 43 और ट्रेविस हेड खाता खोले बगैर नाबाद हैं। स्टीव स्मिथ और मार्नश लाबुशेन ने तीसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी पूरी कर ली । ऑस्ट्रेलिया ने दो विकेट पर 196 रन बना लिए हैं। लाबुशेन 46 और स्मिथ 43 रन बनाकर नाबाद हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन पहली पारी में चायकाल तक दो विकेट पर 190 रन बना लिए हैं। दो विकेट गिर जाने के बाद अनुभवी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने मार्नश लाबुशेन के साथ पारी को संभाला लिया । आस्ट्रेलिया ने लंच तक एक विकेट पर 73 रन बना लिये थे।

स्कोर बोर्ड

ऑस्ट्रेलिया (पहली पारी): वॉर्नर बो. टंग 66, खूवाजा बो. टंग 17, लाबुशेन कै. बेयरस्टो बो. रॉबिंसन 47, स्मिथ (खेल रहे हैं) 85, हेड स्टं.बेयरस्टो बो. रूट 77,ग्रीन कै. एंडरसन बो. रूट 0, कैरी(खेल रहे हैं)11, **अतिरिक्त** 36, **कुल** (83 ओवर में) 5 विकेट पर 339 रन । **विकेट पतन:** 1-73 , 2-96 , 3-198 , 4-316 , 5-316। **गेंदबाज़ी:** एंडरसन 15-4-29-0, ब्रॉड 18-4-72-0, रॉबिंसन 21-3-86-1, टंग 18-3-88-2, स्टोक्स 3-1-21-0, रूट 8-1-19-2।

मैच के दौरान पहले ही ओवर के बाद हुआ हंगामा, 'जस्ट स्टॉप आइल' के प्रदर्शनकारियों ने मैदान पर डाला पाउडर

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट मुकाबले की शुरुआत ही हंगामेदार हुई है। बुधवार से शुरू हुए दूसरे टेस्ट मैच में पहले ही दिन हंगामा हो गया। इस दिन यहां 'जस्ट स्टॉप आइल' ग्रुप के प्रदर्शनकारियों ने स्टेडियम में काफी बवाल मचाया। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रदर्शनकारियों को स्टेडियम से बाहर निकाल दिया। ये पूरा वाक्या देखकर दुनिया भर के क्रिकेट फैंस हैरान हो गए है। प्रदर्शनकारियों के इस प्रदर्शन के कारण पांच मिनट तक खेल बाधित रहा। ऐशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ा। सोशल मीडिया पर हंगामे की तस्वीर को वायरल हो रही है। पर्यावरण के लिए काम करने वाले प्रदर्शनकारियों ने मैदान पर नारंगी पाउडर भी डाला। इस कदम को उठाने के लिए खिलाड़ियों ने प्रदर्शनकारियों ने को रोकने की कोशिश की हालांकि प्रदर्शनकारी नहीं मानें। जानकारी के मुताबिक इंग्लैंड के विकेटकीपर जॉनी बेयरस्टो को भी इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्हें एक प्रदर्शनकारी के पास पहुंचकर उसे 50 मीटर तक दूर ले जाकर सुरक्षा कर्मी को सौंप दिया गया। दूसरे को इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और आस्ट्रेलिया के बल्लेबाज डेविड वॉर्नर ने बाहर भेजा। बाद में बेयरस्टो इंग्लैंड के चेंजिंग रूम में गए क्योंकि उनके ऊपर पाउडर गिर गया था। इस साल इस ग्रुप ने ब्रिटेन में कई खेल आयोजनों में बाधा पैदा की है। आयरलैंड के खिलाफ टेस्ट के दौरान उन्होंने इंग्लैंड टीम की बस को रोका। इसके अलावा प्रीमियर लीग फुटबॉल, प्रीमियरशिप रग्बी फाइनल, विश्व स्नूकर चैम्पियनशिप में भी बाधा पहुंचाई। इनका मकसद ब्रिटिश सरकार को नये ईंधन की लाइसेंसिंग और उत्पादन से रोकना है।

दलीप ट्राफी : शोरे के शतक और निशांत के अर्द्धशतक से उत्तर क्षेत्र अच्छी स्थिति में

बेंगलुरु (एजेंसी)। ध्रुव शोरे की संयम से खेली गई शतकीय पारी की मदद से उत्तर क्षेत्र ने बुधवार को यहां एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में पूर्वोत्तर क्षेत्र के खिलाफ चार दिवसीय दलीप ट्राफी क्वार्टरफाइनल के पहले दिन स्टंप तक 87 ओवर में छह विकेट पर 306 रन बना लिए। निशांत सिंधू ने भी नाबाद 76 रन के अर्द्धशतक से पारी मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिल्ली के खिलाड़ी शोरे इस मैच से पहले शानदार फॉर्म में चल रहे थे और उन्होंने यही लय जारी रखी। उन्होंने 2022-23 रणजी सत्र के सात मैचों में 95.44 के बेहतरीन औसत से 859 रन बनये थे जिसमें तीन शतक शामिल थे। यह 31 साल का खिलाड़ी पिछले रणजी ट्राफी सत्र में चौथा सर्वाधिक रन जुटाने वाला खिलाड़ी बना था और दिन में खेली गई उनकी पारी के दौरान उनके इस अनुभव की झलक दिखायी दी। पूर्वोत्तर ने टॉस जीतकर क्षेत्ररक्षण का फैसला किया। शोरे ने हालांकि उसके तेज गेंदबाज जोतिन सिंह, पालजोर तमांग और दिप्पू संगमा के खिलाफ क्रीज पर जमने में अपना समय लिया। पूर्वोत्तर के तेज गेंदबाजों को पिच से कुछ मदद मिल रही थी लेकिन वे शोरे और उनके सलामी बल्लेबाज प्रशांत चोपड़ा को अपनी तेज गेंदबाजी से जल्दी आउट नहीं कर सके। हालांकि पहले 15 ओवर में उत्तर क्षेत्र की टीम महज 29 रन ही बना सकी। लेकिन एक बार परिस्थितियों और गेंदबाजों को समझने के बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने स्वच्छंद खेल दिखाया जिससे रन गति तेज हो गई।

मध्य क्षेत्र की पारी 182 रन पर सिमटी

वहीं तेज गेंदबाज मुरासिंह के पांच विकेट की मदद से ईस्ट जोन ने बुधवार को दलीप ट्राफी क्वार्टरफाइनल मैच के पहले दिन सेंट्रल जोन को 182 रन पर समेटकर स्टंप तक दो विकेट गंवाकर 32 रन बनाये। त्रिपुरा के इस तेज गेंदबाज ने 42 रन देकर पांच विकेट झटके जिससे मध्य क्षेत्र की टीम बड़ा स्कोर नहीं बना सकी। पूर्वी क्षेत्र अभी 150 रन से पिछड़ रही है। बादलों भरे आसमान में मुरासिंह ने अपनी सटीक गेंदबाजी और मूवमेंट से सेंट्रल जोन के बल्लेबाजों को काफी परेशान किया। रिंकू सिंह मध्य क्षेत्र की बल्लेबाजी इकाई के सबसे मजबूत खिलाड़ी थे लेकिन वह बायें हाथ के स्पिनर शाहबाज नदीम की गेंद पर पवेलियन लौट गये जिसके बाद टीम के बल्लेबाजी क्रम चरमराने की शुरुआत हुई। रिंकू सिंह ने 38 रन की पारी खेली जो मध्य क्षेत्र की टीम के लिए सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर भी रहा।

सैफ चैंपियनशिपः भारत और कुवैत का मुकाबला हुआ ड्रॉ, दोनों टीमों के खिलाड़ी भिड़े, भारतीय कोच को मिला रेड कार्ड

बेंगलुरु (एजेंसी)। सैफ चैंपियनशिप में मंगलवार देर रात को भारत और कुवैत के मुकाबले में काफी रोमांच और हंगामा देखने को मिला। दोनों टीमों के बीच खेला गया ये मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। भारतीय टीम का टूर्नामेंट में ये तीसरा मुकाबला था जो ड्रॉ की भेंट चढ़ गया। ये पूरा मुकाबला हाई वोल्टेज ड्रामे की भेंट चढ़ा, जिसमें दोनों टीमों के खिलाड़ियों में कई बार भिड़ंत होती दिखी। इस मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों को ही नहीं बल्कि भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच इगोर स्टिमैक को भी रेड कार्ड मिला। इससे पहले खेल में बाधा डालने के आरोप में उन्हें येलो कार्ड मिल चुका था, जिसके बाद कुवैत के खिलाफ खेले गए मुकाबले में उन्हें रेड कार्ड मिला, जिसके बाद उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा। ये दूसरा मौका है जब उन्हें रेड कार्ड मिला है, इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मुकाबले में भी उन्हें रेड कार्ड मिल चुका है। मैच में कोच अधिकारियों से बहस करते दिखे और 81वें मिनट में उन्हें लाल कार्ड दिखाया गया। मुकाबले के पहले हाफ में ही खिलाड़ियों के बीच तीखी बहस और नोक झोंक होते हुए दिखी। यहां भारत के आकाश मिश्रा और कुवैत के खिलाड़ी आपस में भिड़ गए और दोनों में बहस हुई, जो कुछ समय बाद शांत हुई। इसके बाद दूसरे हाफ में कुवैत के खिलाड़ियों ने आक्रामक रुख अपनाते हुए खेल खेला और भारतीय खिलाड़ियों को लगातार परेशान करने का सिलसिला जारी रखा। कुवैत के खिलाड़ी हमाद अलकल्लाफ ने भारत के सहल समद को धक्का दिया और उन्हें नीचे गिरा दिया।

क्रिकेट विश्व कप : सोच-विचार के बाद स्टेडियमों का चयन किया: बीसीसीआई

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत एकदिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए 10 स्थान पूरे भारत से चुने गए हैं। अहमदाबाद के अलावा, अन्य मेजबान शहरों में बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, धर्मशाला, हैदराबाद, लखनऊ और पुणे शामिल हैं। 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) द्वारा कार्यक्रम की घोषणा के बाद से, इस प्रतिष्ठित आयोजन के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा स्थानों की पसंद को लेकर महत्वपूर्ण विवाद शुरू हो गया है। बीसीसीआई पर आरोप लग रहे हैं कि उसने स्टेडियम में चयन में पक्षपात किया किया है।बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने खुलासा किया कि मोहाली का आईएस बिंद्रा स्टेडियम आईसीसी के मानकों पर खरा नहीं उतरता, जबकि मुल्लांपुर स्टेडियम पर काम चल रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मोहाली का मौजूदा स्टेडियम आईसीसी के मानकों पर खरा नहीं उतरा और इसलिए उसे मैचों से वंचित कर दिया गया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें मैच नहीं दिये जायेंगे। उन्हें द्विपक्षीय सीरीज के मैच दिए जाएंगे, यह रोटेशनल सिस्टम पर आधारित है। उन्होंने कहा कि कोई पिक एंड चूज़ नहीं किया गया है। आयोजन स्थलों को अंतिम रूप देने में आईसीसी की सहमति अहम है। त्रिवेन्द्रम में पहली बार वार्म-अप मैच की मेजबानी दी गई है। ऐसा नहीं है कि किसी भी केंद्र/क्षेत्र की अनदेखी की गयी हो। काफी सोच-विचार के बाद स्टेडियमों का चयन किया गया है, यहां तक कि नॉर्थ ईस्ट जोन में भी मैच गुवाहाटी को मिले हैं।

CHANGE OF NAME

MY OLD NAME WAS GYANDAS S/O RAMA-DHAR GUJAR, R/O - 581, WARD NO. 17, LALA LAJPAT RAY WARD, HARDA, (M.P.) NOW I HAVE CHANGED MY NAME. MY NEW NAME IS NOW KNOWN AND CALLED AS GYANDAS GUJAR.

1864

बेदखली आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पक्षकारा श्रीमती उमा लोधी पत्नी धनीराम नि. के 10 विनायक केम्पस करारिया फार्म कोच फैक्ट्ररी के पास भोपाल ने अपना अधिवक्ता नियुक्त करते हुये आप सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकारा के एक पुत्र सुशील कुमार लोधी एवं एक पुत्री जिसकी शादी हो चुकी है वह ससुराल में है पुत्र सुशील कुमार की भी शादी हो गई है जिसके एक पुत्री अर्पणा एवं बहु मोनिका वर्मा है, लेकिन सुशील एवं मोनिका पुत्र एवं बहु है जो कि मेरे पक्षकारा के कहने में नहीं है और अपने मनमर्जी का कार्य करते है और वर्तमान में अहमदाबाद में अलग निवास करते है इन दोनों से परेशान होकर उसने अपने पति धनीराम लोधी की सहमती से अपने पति की आय से अर्जीत एवं अपनी पैत्रिक सम्पति से बेदखल कर दिया है भविष्य में उपरोक्त बहु, बेटे एवं उनकी पुत्री अर्पणा इन सभी को अपने चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल करती है और इन से अगर कोई किसी प्रकार का सम्व्यवहार करता है तो उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। परिवार सहित हमेशा -हमेशा के लिये सम्बंध खत्म कर लिए है, दो वर्ष पूर्व मौखिक रूप से खत्म किया है और आज जाहिर सूचना के माध्यम से खत्म कर दिया है।

हर्षलता चौहान, अधिवक्ता
म.नं. 1, गली नं. 1, रेल्वे कोच फैक्टरी रोड, भोपाल
मो. 9425625291, 8085204946

1859

न्यायालय तहसीलदार/ अति. तहसीलदार/ नायब तहसीलदार नजूल वृत्त गोविन्दपुरा भोपाल
(पुराना आर.टी.ओ. कार्यालय भोपाल) अ-6/ (1)
इश्तहार
प्रकरण क्रमांक- 0796/अ-6/23-24

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित भूमि के नामांतरण कार्यवाही स्तम्भ 4 में अंकित के स्थान पर स्तम्भ 5 में अंकित व्यक्ति के नाम की जा रही है। अतः उक्त नामांतरण में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे निश्चत दिनांक को या तो स्वयं किसी अभिभाषक अथवा प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित हो तथा नामांतरण में कोई आपत्ति हो तो प्रस्तुत करें। क्रेता-श्रीमती संगीता साहू पुत्री श्री वदामीलाल निवासी-52, मेन रोड इब्राहिमगंज भोपाल। विक्रेता- रामभरोस पिता श्री मिश्रीलाल निवासी-भोपाल। 1. भूमि का विवरण- स.क्र. 1. पटवारी हल्का क्रमांक/सेक्टर क्रमांक-2 दामखेड़ा, ग्राम/नगरीय क्षेत्र का नाम 3, दामखेड़ा, सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक/ भू-खंड संख्यांक 4-173/3/1/1, क्षेत्रफल हे./ वर्गमीटर में-5, 0.708, नामांतरण हेतु भूमि का क्षेत्रफल 6 74.34। नियत दिनांक 07.07.2023 के बाद प्रस्तुत आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आज दिनांक 28.06.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर के आधीन जारी किया गया।

तहसीलदार
सील **नजूल वृत्त गोविन्दपुरा भोपाल**

1860

In The Court of VIII Civil Judge Class-I District Court, Bhopal
Presiding Officer: मंजूषा तेकाम
आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम सक्सेशन
प्रकरण क्रमांक (MJC SUC/0000177/2022)
प्रमिला देवी............................आवेदक
Vs
नगर निगम भोपाल.............अनावेदक
Process Id//2023
पेशी दिनांक 25.08.2023

प्रेषिती-
(1) सर्वसाधारण पता-सर्वसाधारण
(2) आम जनता

आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक **प्रमिला देवी** पता ने मृतक स्व. बाबू कुमार पुत्र स्व. श्री परमानंद निवासी-म.नं.-296, रूप नगर कालोनी इंडस्ट्रियल एरिया, गोविंदपुरा, भोपाल म.प्र. की राशि/संपति हेतु उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक/संरक्षक नियुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये इस न्यायालय में आवेदन किया है जिसकी सुनवाई दिनांक 25 August 2023 को नियत है।

यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रकरण में आवेदक को उक्त मृतक का उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक/संरक्षक होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र जारी किये जाने में कोई आपत्ति हो अथवा उक्त प्रकरण में वह अपना हक समझता हो तो पेशी दिनांक 25 August 2023 को न्यायालय में स्वयं अथवा अभिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहें। सूचना उपरांत, यदि अनुपस्थित रहे तो प्रकरण की सुनवायी एक पक्षीय की जाकर प्रकरण का निराकरण किया जावेगा।

यह आज तारीख 21 June 2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है।
1. यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो अगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जावेगा।

(मंजूषा तेकाम)
अष्टम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड भोपाल (म.प्र.)

1858

कार्यालय नगर पालिका परिषद अशोकनगर (म.प्र.)

Email :- cmoashoknagar@mpurban.gov.in Ph No 07543-222811

क्रमांक/तकनीकि/2023/2249 अशोकनगर दिनांक :- .27.06.2023

** निविदा सूचना **

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाइन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाइट https://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेण्डर क्रमांक जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि एवं लागत (LAKHS)	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा की अंतिम तिथि
1	2	3	4	5	6
1	2023_UAD_287542_1	पठारी खेड़ा रोड पंकज शर्मा के पास आर सी सी नाला निर्माण कार्य।	(1) 03 month (2) 423000/-	(1) 2000/- (2) 4230/-	13/07/2023

नोट :-
1. निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाइन की वेबसाइट पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद अशोकनगर

कार्यालय नगर पालिका परिषद खुरई, जिला-सागर (म.प्र.)

क्र./रा.वि./निविदा/2023/34 **खुरई दिनांक 27.06.2023**

पंचम निविदा आमंत्रण सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद खुरई अपने स्वामित्व की नेहरू वार्ड में अटल शापिंग कॉम्प्लेक्स में बेसमेंट भूतल एवं प्रथम तल पर कुल 46 एवं नगर पालिका की विभिन्न स्थानों पर शेष बची दुकानों को स्वयं के व्यवसायिक उपयोग के लिए 30 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर दिए जाने हेतु परिक्षित राशि (वापिस आयोग्य) के लिए ऑफलाईन बंद लिफाफे में दिनांक 14.07.2023 को शाम 05.30 बजे तक नगर पालिका परिषद द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ऑफलाईन आफर्स आमंत्रित किये जाते हैं। उच्चतम आफर स्वीकार/अस्वीकार का अधिकार नगर पालिका परिषद को होगा। बिना कारण बताए ऑफर्स अस्वीकार किया जा सकता है। पट्टे के संबंध में विस्तृत शर्तें कार्यालयीन समय में कार्यालय में देखी जा सकती हैं। ऑफरकर्ताओं को परामर्श दिया जाता है कि वह दुकानों की अवस्थिति एवं भौतिक क्षमता पट्टे पट्टे की शर्तों का आफर प्रस्तुत करने के पूर्व भली भांति अवलोकन/निरीक्षण कर लें। पश्चातवर्ती प्रक्रम में उस प्रकार के आपेक्ष पोषणीय नहीं होंगे। प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथक-पृथक ऑफर आवश्यक हैं :-

क्र.	स्थान	दुकान क्रमांक	दुकान का क्षेत्रफल (वर्गमी. में)	न्यूनतम निर्धारित आरक्षित राशि (लाख में)	अमानत राशि (रुपए में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रुपए में)	आरक्षित दुकान (रुपए में)
	बेसमेंट तल में निर्मित दुकानों का विवरण						
1.	अटल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बेसमेंट में नवनिर्मित दुकान	1	19.84	1522720/-	45800/-	2000	अनारक्षित
2.		2	19.84	1522720/-	45800/-	2000	अनारक्षित
3.		3	19.84	1522720/-	45800/-	2000	अनारक्षित
4.		4	19.84	1522720/-	45800/-	2000	अनारक्षित
5.		5	19.84	1522720/-	45800/-	2000	अना. वर्ग की विधवा महिला
6.		6	13.44	1031520/-	31010/-	2000	अनुसूचित जाति
7.		7	13.44	1031520/-	31010/-	2000	विकलांग
8.		8	13.44	1031520/-	31010/-	2000	अनुसूचित जाति
9.		9	13.44	1031520/-	31010/-	2000	अन्य पिछड़ा वर्ग
10.		10	13.44	1031520/-	31010/-	2000	अनुसूचित जाति
11.		11	34.22	2626385/-	79000/-	2000	अनारक्षित
12.		12	19.84	1522720/-	45800/-	2000	अनारक्षित
13.		13	19.84	1522720/-	45800/-	2000	अनारक्षित
14.		14	19.84	1522720/-	45800/-	2000	अनारक्षित
15.		15	19.84	1522720/-	45800/-	2000	अनारक्षित
16.		16	11.84	908720/-	27320/-	2000	अनुसूचित जाति
17.		17	14.72	1105200/-	33970/-	2000	अनुसूचित जाति
18.		18	14.08	1105200/-	32490/-	2000	अनुसूचित जाति
	ग्राउण्ड तल में निर्मित दुकानों का विवरण						
19.	अटल शॉपिंग काम्प्लेक्स भूतल में नवनिर्मित दुकान	1	19.84	1851280/-	59260/-	2000	अनारक्षित
20.		2	19.84	1851280/-	59260/-	2000	अनारक्षित
21.		3	19.84	1851280/-	59260/-	2000	अनारक्षित
22.		4	19.84	1851280/-	59260/-	2000	अनारक्षित
23.		5	19.84	1851280/-	59260/-	2000	अनारक्षित
24.		6	13.44	1254090/-	40150/-	2000	अनुसूचित जाति
25.		7	13.44	1254090/-	40150/-	2000	अनुसूचित जाति
26.		8	13.44	1254090/-	40150/-	2000	अन्य पिछड़ा वर्ग
27.		10	13.44	1254090/-	40150/-	2000	अनु. जन जाति
-		11	-	-	**प्रशाधन कक्ष**		-
28.		13	19.84	1851280/-	59260/-	2000	अनारक्षित
29.		14	19.84	1851280/-	59260/-	2000	अनारक्षित
30.		15	19.84	1851280/-	59260/-	2000	अनारक्षित
31.		16	19.84	1851280/-	59260/-	2000	अनारक्षित
	प्रथम तल पर निर्मित दुकानों का विवरण						
32.	अटल शॉपिंग काम्प्लेक्स प्रथम तल में नवनिर्मित दुकान	1	19.84	1624700/-	50000/-	2000	अनारक्षित
33.		2	19.84	1624700/-	50000/-	2000	अनारक्षित
34.		3	19.84	1624700/-	50000/-	2000	अनारक्षित
35.		4	19.84	1624700/-	50000/-	2000	अनारक्षित
36.		5	19.84	1624700/-	50000/-	2000	अनुसूचित जाति
37.		6	13.44	1100610/-	33850/-	2000	अनुसूचित जाति
38.		7	13.44	1100610/-	33850/-	2000	अनुसूचित जाति
39.		8	13.44	1100610/-	33850/-	2000	अनु. जन जाति
40.		9	13.44	1100610/-	33850/-	2000	अन्य पिछड़ा वर्ग
41.		10	13.44	1100610/-	33850/-	2000	अना.वर्ग की विधवा महिला
		11	**प्रसाधन कक्ष**				
42.		12	19.84	1624700/-	50000/-	2000	अनारक्षित
43.		13	19.84	1624700/-	50000/-	2000	अनारक्षित
44.		14	19.84	1624700/-	50000/-	2000	अनारक्षित
45.		15	19.84	1624700/-	50000/-	2000	अनारक्षित
46.		16	48.026	3932850/-	121000/-	2000	अनारक्षित
47.	नये बस स्टैंड सागर रोड पर स्थित दुकानें, टिकटघर 4, लेजर रूम 2, केंटीन 1	17	17.71	360000/-	10000/-	2000	अनारक्षित
48.		18	17.71	360000/-	10000/-	2000	अनारक्षित
49.		22	17.71	360000/-	10000/-	2000	अनारक्षित
50.		4ticket ghar	15.94	360000/-	10000/-	2000	अनारक्षित
51.		2 ledger room	36.43	7,00,000/-	20000/-	2000	अनारक्षित
52.		1 Canteen	43.70	10,00,000/-	30000/-	2000	अनारक्षित
53.	नये थाने के पास वाली	8	10.64	360000/-	10000/-	2000	अनारक्षित
54.		11	10.64	360000/-	10000/-	2000	अनारक्षित
55.		24	10.64	360000/-	10000/-	2000	अनारक्षित
56.	मीट मार्केट	10	7.43	150000/-	5000/-	2000	अनारक्षित
57.		12	7.43	150000/-	5000/-	2000	अनारक्षित
58.	कांजी हाऊस चंद्रशेखर आजाद मार्केट प्रथम तल	12	10.24	324495/-	30000/-	2000	अनारक्षित
59.		14	22.62	716805/-	30000/-	2000	अनारक्षित
60.		15	22.42	710467/-	30000/-	2000	अनारक्षित
61.		16	22.8	722509/-	30000/-	2000	अनारक्षित
62.		17	22.87	724727/-	30000/-	2000	अनारक्षित
63.		18	25.2	798563/-	30000/-	2000	अनारक्षित
64.		19	26.81	849582/-	30000/-	2000	अनारक्षित
65.		20	23.15	733600/-	30000/-	2000	अनारक्षित
66.		21	30.87	978239/-	30000/-	2000	अनारक्षित

1. निविदा प्रपत्र दिनांक 27.06.2023 को सुबह 10 :30 बजे से दिनांक 13.07.2023 को 05 :30 बजे तक क्रय किये जा सकते है, तथा 14.07.2023 को सायं 05 :00 बजे तक जमा कर सकते है, तत्पश्चात ऑफर स्वीकार नहीं किये जावेंगे। 2. ऑफलाइन निविदा दिनांक 17.07.2023 को सायं 03 :00 बजे से खोली जावेगी। 3. निविदा में यदि कोई संशोधित होता है, तो इसकी सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं की जावेगी। 4. आरक्षित मूल्य से कम ऑफर की राशि स्वीकार योग्य नहीं होगी।

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद खुरई

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद खुरई

आयुक्त कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम श्रम न्यायालय क्र. 1 भोपाल
प्रक. क्र. 26/डब्ल्यूसीएफ/2023/ विविध

सूचना पत्र

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 11/3/2014 को हुई दुर्घटना में श्रमिक श्री उस्मान खां आत्मज श्री की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति राशि नियोक्ता अनावेदक क्रमांक 3 बजाज अलायंस जनरल कम्पनी लिमिटेड भोपाल (म.प्र.) द्वारा इस न्यायालय में रुपए 8,30,000/- अक्षरी रुपए आठ लाख तीस हजार मात्र मृतक के आश्रितों को वितरण करने हेतु जमा किए गए हैं। यह राशि कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत जमा की गई है। अतः यदि कोई व्यक्ति धारा 21 कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत मृतक का आश्रित हो तो वह दिनांक 27/9/23 को सुबह 10.30 बजे मेरे समक्ष इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना क्लेम एवं साक्ष्य प्रस्तुत करें और साथ में अपनी शिनाख्तगी के लिए किसी मजिस्ट्रेट द्वारा अटेस्टेड किया हुआ स्वयं का फोटो भी साथ में लावें। उक्त दिनांक को अवकाश घोषित हो जाता है या अन्य किसी कारण से कार्य स्थगित हो जाता है तो प्रकरण की सुनवाई अगले कार्य दिवस पर की जावेगी। ध्यान रहे कि उपरोक्त दिनांक के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अतः आज दिनांक 28/6/2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा के अधीन जारी किया गया।

आयुक्त
कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम
श्रम न्यायालय क्रमांक 1 भोपाल म.प्र.

GOVT

कार्यालय सम्पदा अधिकारी, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधो. विकास मंडल संभाग क्र. 6 गोमंतिका परिसर, भोपाल

आम सूचना

तुलसी टावर्स तुलसी नगर भोपाल में प्रकोष्ठ भवन क्रमांक 04 टाईप-3 बी.एच.के. ब्लाक-बी प्रथम तल मंडल द्वारा श्री रविन्द्र सिंह रघुवंशी एवं श्रीमती रानी रघुवंशी निवासी 6 कम्फर्ट चूना भट्टी भोपाल के नाम से पंजीकृत है। श्री रविन्द्र सिंह रघुवंशी एवं श्रीमती रानी रघुवंशी द्वारा दिनांक 28.6.2023 को आवेदन पत्र, शपथ पत्र एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर उक्त सम्पत्ति में श्रीमती श्रृद्धा ममतानी एवं श्री संजय मनतानी निवासी 8/64 उषा प्रीत गुलमोहर रोड भोपाल (म.प्र.) का नाम संयुक्त करने हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। प्रकोष्ठ भवन क्रमांक 04 टाईप-3 बी.एच.के. ब्लाक-बी प्रथम तल में श्रीमती श्रृद्धा ममतानी एवं श्री संजय ममतानी का नाम जोड़ने की कार्यवाही की जा रही है। अतः उक्त संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था/उत्तराधिकारी/ अन्य को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशित होने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप से मय सबूत के कार्यालय में दस्तावेज प्रस्तुत करें। अन्यथा अवधि व्यतीत होने के उपरांत नाम जोड़ने की कार्यवाही का जाएगी। तत्पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

सम्पदा अधिकारी,
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधो. विकास मंडल संभाग 6 भोपाल

1861

जाहिर सूचना

(फ्लैट / यूनिट क्रमांक डी-2, ब्लॉक क्रमांक डी, लिली रो, स्प्रिंग वैली, ग्राम कटारा, वार्ड क्रमांक 85, भोपाल के संबंध में)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार ने (1) श्री नितिन मालवीय आत्मज श्री मदन मोहन मालवीय एवं (2) श्रीमती पुष्पा मालवीय पत्नी श्री मदनमोहन मालवीय, दोनों आयु वयस्क, निवासीगण-फ्लैट/यूनिट क्रमांक डी-2, ब्लॉक क्रमांक-डी, लिलि रो, स्प्रिंग वैली, ग्राम कटारा, भोपाल के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य का एक आवासीय फ्लैट/यूनिट क्रमांक डी-2, ब्लॉक क्रमांक डी, लिली रो, जो बहुमंजिला भवन (स्प्रिंग वैली) के भूतल पर निर्मित है जो खसरा क्रमांक 39, 40 एवं 315 के अंश भाग पर, जो ग्राम कटारा, नगर निगम वार्ड क्रमांक 85, तहसील हूजूर वर्तमान तहसील कोलार, जिला भोपाल में स्थित है जिसके फ्लैट का बिल्ट-अप क्षेत्रफल 740 वर्गफिट अर्थात 68.77 वर्गमीटर है। उपरोक्त सम्पत्ति की चतुर्थ सीमाएं इस प्रकार हैं- पूर्व में ओपन, पश्चिम में यूनिट क्रमांक आई-2, उत्तर में यूनिट क्रमांक ई-1, दक्षिण में यूनिट क्रमांक डी-1 है तथा जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय, भोपाल में दिनांक 24.05.2010 को निष्पादित किया है, जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय, भोपाल में पुस्तक क्रमांक अ-1, ग्रन्थ क्रमांक 3383 एवं दस्तावेज क्रमांक 414/2 है, को क्रय करने हेतु बयाना राशि अदा कर दी गई है तथा निकट भविष्य में उक्त सम्पत्ति का पंजीयन कराया जाना है, यह कि उक्त सम्पत्ति एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड, भोपाल में बंधक रखी हुई है इसके अलावा यदि उक्त वर्णित सम्पत्ति के संबंध में किसी भी व्यक्ति , संस्था, बैंक, सोसायटी, नजूल, म.प्र. शासन, शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय निकाय का अनुबंध, स्वत्व, आधिपत्य, हित, ऋण बंधक (साम्यिक) भार, विलयन अथवा अन्य किसी भी प्रकार का विवाद हो तो, वह अपनी आपत्ति लिखित में मय दस्तावेजों के साथ इस सूचना पत्र प्रकाशन के 7 दिवस की अवधि के अन्दर मुझे, मेरे पते पर प्रस्तुत करें उपरोक्त समयावधि निकल जाने के पश्चात किसी भी प्रकार का दावा, स्वत्व या आपत्ति मेरे पक्षकार पर बंधनकारी नहीं होगी तथा मेरा पक्षकार उक्त सम्पत्ति का विक्रय पत्र का पंजीयन अपने पक्ष में करा लेगा ।

प्रकाश यादव (एडवोकेट)
20, पूजा कालोनी, नियर शिवानी होम्स, करोंद, भोपाल मो. 9425625302, 9907271979

1862

कार्यालय सम्पदा अधिकारी, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधो. विकास मंडल जोन क्र 02 भोपाल

आम सूचना

हाऊसिंग बोर्ड कालोनी अरविन्द विहार बाग मुंगालिया भोपाल में स्थित भूखण्ड क्रमांक एफ-3/171 श्री टी.सी. दशोरे आत्मज श्री एन.एस. दशोरे के नाम पर आवंटित था एवं विक्रय पत्र पंजीयन कार्यालय से दिनांक 28.01.1994 को पंजीकृत है। इनका स्वर्गवास दिनांक 12.03.2008 को हो जाने के कारण उक्त भूखण्ड इनकी पत्नी श्रीमती लक्ष्मी दशोरे के नाम नामांतरित आदेश क्रमांक 2729-34 दिनांक 26.12.2008 को जारी किया गया। श्रीमती लक्ष्मी दशोरे पति स्व. श्री टी.सी. दशोरे का स्वर्गवास दिनांक 25.10.2022 को हो गया है। श्री अजय दशोरे आत्मज स्व. श्री टी.सी. दशोरे द्वारा आवेदन पत्र, ऑनलाईन आवेदन पत्र, मंडल द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र श्री अनिल दशोरे आत्मज स्व. श्री टी.सी. दशोरे का अनापत्ति शपथ पत्र, एवं आई.डी. प्रूफ प्रस्तुत करते हुए उक्त भूखण्ड अपने नाम हस्तांतरित/नामांतरित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जो कि विचाराधीन है। यदि किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशित दिनांक से 15 दिवस के अंदर लिखित रूप से आपत्ति सबूत के साथ प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी एवं मंडल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

सम्पदा अधिकारी,
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधो. विकास मंडल जोन क्र.-2 भोपाल

1863